

राजस्थान सरकार
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

§ 19 § राज-6/92/ →

जयपुर, दिनांक:- 29-5-99

:- आदेश :-

राजस्थान अधिनियम § 19 का आवंटन § नियम, 1970 के
म. 13 के उप-नियम § 11 के खण्ड § VII § की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य
सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार
समिति का सदस्य उनके नाम के सामने अंकित क्षेत्र हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	नाम एवं पता	पंचायत समिति का नाम
1.	श्री भाना राम राजपुरा प.स. दातारामगढ़	उपखण्ड अधिकारी, सीकर पंचायत समिति, दातारामगढ़
2.	श्री कान्ता प्रह्लाद शर्मा, पुत्र श्री मोहन लाल दास, पाटन, नीम का धाना	उपखण्ड अधिकारी नीम का धाना पंचायत समिति नीम का धाना
3.	श्री भागीरथ मल जाखठ, सडवोकेट गांव भीखनवासी पंचायत समिति, धोंद	उपखण्ड अधिकारी, सीकर पंचायत समिति धोंद
4.	श्री देवीलाल यादव सरपंच रानौली, सीकर	उपखण्ड अधिकारी सीकर पंचायत समिति पिपराली

§ संजय दीनक्षत §

विशेष शासन सचिव, राजस्व

प्रतिनीति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय ।
3. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव महोदय ।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, सीकर
6. संबंधित उपखण्ड अधिकारी
7. सदस्य आवंटन सलाहकार समिति ।
8. राजस्व § ग्रुप- 3 § विभाग ।

9. रक्षित पत्रावली ।

सहायक विधि प्रास्पकार